

परिमिश्रित - XIV 1971

वन विभाग

विविध

10 फरवरी 1960

संख्या : 115/14-331-50 उत्तर प्रदेश के राज्यांत म्होदय ज

मत है कि इण्डियन फारेस्ट ऐक्ट 1927 सेक्ट सं 16, 1927 की धारा-29 की
उपधारा - 131 के अधीन अपेक्षित जॉच तथा अभिलेख करने में इतना अधिक समय
लगेगा कि इस बीच राज्य सरकार के अधिकारों को खतरा हो सकता है :

अतएव उपर्युक्त उपधारा के प्रावधानों द्वारा और सम्बंधित 1930
की धारा-80-ए के साथ पठित उक्त धारा की उपधारा 111 द्वारा प्रा-ज
अधिकारों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश के राज्यांत म्होदय जाते-जाते करते हैं ।
कि इस प्रकार जॉच तथा अभिलेख करने तक उक्त ऐक्ट के अध्याय - 1 के अधिनियम
संख्या अनुसूची में उल्लिखित भूमि पर लागू होंगे ।

अनुसूची

जिला	नाम, सड़क	दूरी मील, जॉच और फीटों में	टिप्पणी
59	2	3	4
1- मेरठ	x	x	
2- मुजफ्फरनगर	x		
x	x	x	
21- पीलीभीत	1- बरेली-पीलीभीत न्योरिया रोड	29 मील 8 फीट 69 मील 8 फीट तक	
	2- पीलीभीत-जड़नाबाद	2 मील से 6 मील 2 फीट तक रोड	
	3- बीतपुर-विल्लुड रोड	भूज से 10 मील 3 फीट 330 फीट	
	4- पीलीभीत-गजरीला	भूज से 2 फीट 340 फीट तक	
	5- पीलीभीत-बीरपुर रोड	22 मील 3 फीट तक	
	6- डाटीमा-इनकट रोड	4 मील 4 फीट तक	
x	x	x	